भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1261

(दिनांक 14.12.2022 को उत्तर के लिए)

अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की कमी

1261. डॉ. पोन गौतम सिगामणि :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की भारी कमी का सामना कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या किसी भी वरिष्ठ रैंक के अधिकारी ने केन्द्र सरकार में तैनाती की मांग नहीं की है और यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की कमी पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) और (ख) : 01.01.2022 तक की स्थिति के अनुसार अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की स्वीकृत संख्या और तैनात अधिकारियों का विवरण निम्नवत् है:

सेवाएं	स्वीकृत संख्या	तैनात अधिकारी
आईएएस	6789	5317
आईपीएस	4984	4120
आईएफएस	3191	2134

(ग) : केन्द्रीय स्टाफिंग योजना (सीएसएस) के अंतर्गत भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में उप सचिवों/निदेशकों/संयुक्त सचिवों/अपर सचिवों/सचिवों के पदों को भरने के लिए सीएसएस में शामिल विभिन्न सहभागी सेवाओं के अधिकारियों को इन पदों पर रखने के लिए पैनलबद्ध करने/प्रतिधारण पर विचार किया जाता है। इन अधिकारियों में से

उन पर इन पदों पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाता है, जिन्होंने प्रतिनियुक्ति का विकल्प दिया है।

रिक्तियों का होना और भरा जाना एक सतत् प्रक्रिया है। केन्द्र सरकार का यह प्रयास होता है कि रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) आईएएस, आईपीएस एवं आईएफएस में सीधी भर्ती के आधार पर रिक्तियों को भरने के लिए प्रत्येक वर्ष परीक्षाएं आयोजित करता है। पदोन्नति कोटा में रिक्तियों को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सरकारों के साथ चयन समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं।

सरकार ने सीएसई 2021 तक सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से आईएएस अधिकारियों की वार्षिक भर्ती बढ़ाकर 180 कर दी है। आगे, सीएसई-2022 से सीएसई-2030 तक प्रत्येक वर्ष सीएसई के माध्यम से सीधी भर्ती आईएएस अधिकारियों की संख्या के संबंध में सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। सीएसई के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले आईपीएस अधिकारियों की संख्या को सीएसई 2020 से बढ़ाकर 200 कर दिया गया है। भर्ती किए जाने वाले आईएफएस अधिकारियों की संख्या 2022 में बढ़ाकर 150 कर दी गयी है।

****